



राजस्थान RAJASTHAN

शपथ-पत्र



759279

मैं समचन्द्र लेधा पुत्र श्री लक्ष्मणराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी साजनसर, तह. बीदासर, जिला चूरु (राज.) हाल सचिव विवेकानन्द विद्या आश्रम संस्था, कातर छोटी जो कि निम्नलिखित तथ्य शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

1. यह कि महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किया हुआ है।
2. यह कि उक्त प्रमाण-पत्र नगरपालिका बीदासर के द्वारा निर्धारित दल के निरीक्षण के उपरान्त जारी किया गया है।
3. यह कि महाविद्यालय भवन में अग्नि सुरक्षा के उपकरण प्रशिक्षित दल द्वारा इन्सटॉल करवाये गये हैं।
4. यह कि फायर सेफ्टी हुटर, अलार्म इत्यादि भी लगवाये गये हैं।
5. यह कि आवश्यकता पड़ने के हिसाब से स्मोक डिटेक्टर भी लगाया गया है।
6. यह कि अग्नि सुरक्षा उपकरणों में काम आने वाले पानी की सप्लाई हेतु पानी का बड़ा होज कैम्पस में ही भवन के पास बना हुआ है।
7. यह कि पानी की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर टैंकर आसानी से आ जा सकता है।
8. यह कि अग्नि सुरक्षा के अन्य उपकरण में रेत से भरी बाल्टियाँ निर्धारित स्थानों पर रखी गयी हैं।
9. यह कि अग्नि जैसी आपात स्थिति में भवन में अतिरिक्त निकास द्वार भी उपलब्ध है।
10. यह कि इस निकास द्वार के रस्ते भी भवन में दर्शाये गये हैं।
11. यह कि फायर सिस्टम को चलाने, रखरखव व संचालन हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखे हुये हैं।
12. यह कि भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक व अतिज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा।
13. यह कि विषम परिस्थिति में फायर वाहन भी भवन में आसानी से आ जा सकता है।

IDENTIFY BY

समचन्द्र लेधा
विवेकानन्द विद्या आश्रम संस्था

हस्ताक्षर शपथग्रहिता सचिव
विवेकानन्द विद्या आश्रम संस्था
कातर छोटी, बीदासर, चूरु

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 13 तक मेरे जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। इसमें किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया गया है।

ATTESTED

GYANA RAM
NOTARY
BIDASAR (RAJ.)

सत्यापितकर्ता सचिव
विवेकानन्द विद्या आश्रम संस्था
कातर छोटी, बीदासर, चूरु

005

क्रमांक 2307 दिनांक 28/11/2025

नाम विक्रमजी निवासी लक्ष्मी देवी

पिता/पति रामचंद्र देवी लक्ष्मी देवी

जाति जाट निवासी लक्ष्मी देवी

वास्ते लक्ष्मी देवी हस्ते लक्ष्मी देवी/लक्ष्मी देवी
मलवानी नं. 108 (लक्ष्मी देवी)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अंतर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार

1. आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)- 10 प्रतिशत रुपये 50

2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख)- 20 प्रतिशत रुपये 100

कुल योग:-150 रु.

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता कैलाश

कैलाश

मुद्रांक विक्रेता कातर छोटी

तह. बीदासर जिला चूरु।

लक्ष्मी देवी

लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी

लक्ष्मी देवी

लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी

ATTESTED
GYAN RAM
NOTARY
(LAXMIDevi)